उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग–2
संख्या–8/2018/1343/46-2-2018/33/2018
लखनऊ : दिनांक 18 जून,2018

कार्यालय ज्ञाप

सहकारी चीनी मिलों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो एवं प्रगति की समीक्षा के उपरान्त सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता बढ़ाने, अनुशासन में सुधार लाने एवं कार्यो में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही अमल में लाये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) सहकारी चीनी मिल कर्मियों के कार्या में और गतिशीलता लाने हेतु चीनी मिल के प्रत्येक कार्यालय कक्ष में एवं मिल के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाए ताकि कार्यालय कार्यों का एक ही जगह से प्रभावी पर्यवेक्षण हो सके।

(2) प्रत्येक शिफ्ट में ड्यिटी पर तैनात किये गये कार्मिकां की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय।

(3) निर्धारित कार्य अवधि में कार्मिकों को सौंपे गये कार्यो की समय–समय पर समीक्षा की जाय और जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, उन्हे नोटिस जारी करते हुए कार्यो में सुधार लाने की चेतावनी दी जाय। यदि नोटिस जारी करने के उपरान्त भी सम्बन्धित कार्मिक की कार्य–प्रणली में सुधार नहीं आता है, तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाय।

(4) कतिपय सहकारी चीनी मिलों में एक ही Quad Set होने के कारण पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों की क्लीनिंग के दौरान चीनी मिल को बंद करना पड़ता है। अतः सभी चीनी मिलों में एक अतिरिक्त Quad Set की व्यवस्था की जाय ताकि सफाई के दौरान चीनी मिल को बंद न करना पड़े।

(5) गोदामों में चीनी का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित किया जाय ताकि चीनी किसी दशा में खराब न होने पाये।

(6) सभी सहकारी चीनी मिलों में चीनी रखने हेतु गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। जिन चीनी मिलों में पर्याप्त गोदाम उपलब्ध नही है, वहां पर गन्ना समितियों के खाली पड़े गोदामों अथवा राजकीय गोदामों को किराये पर लिया जाय।

(7) मिल परिसर एवं कार्यालय में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

...2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–8/2018/1343(1)/46-2-2018 तददिनांकित।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- आयुक्त एवं निबन्धक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिलें, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि. लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
4- समस्त प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।